



(vii) सारणी के कॉलम संख्या 1 के क्रम संख्या 15 के सामने कॉलम संख्या 3 में विद्यमान क्रम संख्या 108एम एवं उसकी प्रविष्टियों के पश्चात निम्न नई क्रम संख्या. 108एन से. 108डबल्यू एवं उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-

108एन.	पब्लिक टायलेट का रख रखाव	01 कार्य दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिषापी अधिकारी	निगम/परिषद/पालिका स्तर पर उपायुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक/तकनीकी अधिकारी (अभियन्ता)/राजस्व निरीक्षक एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
108ओ.	इन्टिग्रेटेड रतोई योजना के संबंध में शिकायत	02 कार्य दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिषापी अधिकारी	उपायुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
108पी.	स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग	02 कार्य दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिषापी अधिकारी	उपायुक्त/अधिषापी अभियंता, सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)/विद्युत निरीक्षक/सहायक विद्युत निरीक्षक/लाईनमैन/विद्युत कर्मी एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय
108क्यू.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के अतिरिक्त नकले एवं सूचना	05 कार्य दिवस या पुराने रिकार्ड से संबंधित सूचना के लिये अधिकतम 30 दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिषापी अधिकारी	अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त/राजस्व अधिकारी/असेसर/रिकार्ड क्लिपर/शाखा प्रभारी/संबंधित कार्मिक एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/सभापति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय





(xi) सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्याक 25 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नांकित नये क्रम संख्या 26 एवं 27 तथा उनकी प्रविष्टिया जोड़ी जायेगी, अर्थात:-  
"

भाग 4 (ग)

राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 31, 2021

1274

26	आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	155.	1.रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया जन्म अथवा मृत्यु का निशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए घटना की सूचना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशाषी	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष
			2.जन्म या मृत्यु की तारीख से 21 दिवस के पश्चात विलम्ब शुल्क जमा कराने के बाद निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण करने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशाषी अधिकारी,	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष
			3. विलम्बित रजिस्ट्रीकरण अन्तर्गत अनुज्ञा प्रक्रिया जन्म या मृत्यु की तारीख से 30 दिवस के पश्चात परन्तु 1 वर्ष के भीतर घटना पंजीकृत कराने हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा/आदेश	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	जिला रजिस्ट्रार एवं आयुक्त नगर निगम	पदस्थापित अधिकारी	महापौर	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला कलक्टर
			4.जन्म या मृत्यु की तारीख से 1 वर्ष पश्चात घटना पंजीकृत कराने हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा/आदेश	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं तहसीलदार	नाबब तहसीलदार	उपखण्ड अधिकारी	अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार एवं जिला कलक्टर

10





108आर.	अग्निशमन दुरुपटन पर सहयता (अग्निशमन सेवाओं से सम्बंधित)	01 कार्य दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिष्ठात्री अधिकारी	उपायुक्त/मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारी/सहायक अग्निशमन अधिकारी/फायरमैन/ नामांकित कार्मिक	महापौर/समा पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
108एस.	स्ट्रीट लैंडिंग जारी करना	03 कार्य दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिष्ठात्री अधिकारी	उपायुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/समा पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
108टी.	दुग्ध डेयरी दूध आउटलेट करना	07 कार्य दिवस शिफ्टों के अनुसार	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिष्ठात्री अधिकारी	उपायुक्त/राजस्व अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक/लक्ष्मी अमियंता एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/समा पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
108यू.	सौजर लैंडिंग की सफाई	01 कार्य दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिष्ठात्री अधिकारी	उपायुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/लक्ष्मी अधिकारी (अमियंता)/राजस्व निरीक्षक एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/समा पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
108वी.	सड़नेज लैंडिंग जारी करना	45 कार्य दिवस	निगम स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिष्ठात्री अधिकारी	उपायुक्त/राजस्व अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक/लक्ष्मी अमियंता एवं नामांकित कार्मिक	महापौर/समा पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	नगर निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
108खन्यू.	मोबाईल	60 कार्य दिवस	निगम स्तर पर	उपायुक्त	महापौर/समा	नगर

	टावर अप्पल (1) मोबाईल टावर एन.ओ.सी (2) ओ.एन.सी. केबल एन.ओ.सी	दिवस	मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त, नगर परिषद, आयुक्त, नगर पालिका, अधिष्ठात्री अधिकारी	राजस्व अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/मुख्य सफाई निरीक्षक/राजस्व निरीक्षक/लक्ष्मी अमियंता एवं नामांकित कार्मिक	पति/अध्यक्ष संबंधित नगर निकाय	निगम/परिषद/पालिका/मण्डल संबंधित निकाय
--	--	------	--	--	-------------------------------	---------------------------------------





1275

राजस्थान राज-पत्र, जनवरी 31, 2021

भाग 4 (ग)

			5.जन्म और मृत्यु के रजिस्टार से रजिस्ट्री को ठीक या रट्ट कराना (प्रक्रिया पूर्ण करने पर)	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्टार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष
			6.जन्म प्रमाण पत्र में नाम जोड़ना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्टार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष
			7.विवाह पंजीयन एवं प्रमाण पत्र जारी करना	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्टार (जन्म-मृत्यु)	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित कार्मिक	आयुक्त, नगर निगम/ आयुक्त, नगर परिषद/ अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका	महापौर/ सभापति/ अध्यक्ष
	156-	कामीण क्षेत्र में- 1.जन्म अथवा मृत्यु का निशुल्क रजिस्ट्रेशन करने के लिए घटना की सूचना जन्म या मृत्यु की तारीख से 21 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाने पर	07 दिवस (सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर)	रजिस्टार (जन्म-मृत्यु) एवं पदेन ग्राम विकास अधिकारी	वरिष्ठ/कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार एवं विकास अधिकारी	उप मुख्य रजिस्ट्रार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी	

11

